अपील क्रमांक 229 / बो.प्र. / नि.स. / 2025 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

दिनांक /05 / 2025

अपील प्रकरण क्रमांक 229 / बो.प्र. / नि.सहा. / 2025

अपीलार्थीनी		**उत्तरवादी**
सुश्री भूमिका, बागबाहरा, जिला महासमुन्द (छ.ग.) पिन को. 493449 मो. 7509325866 e-mail id : pinkyvicky176@gmail.com	**विरूद्ध**	श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 26.05.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थीनी सुश्री भूमिका द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रं 220250410002852 दिनांक 08.05.2025 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवायी, आज दिनांक 26.05.2025 को कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) उपस्थित थे तथा अपीलार्थीनी अनुपस्थित थीं।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदिका / अपीलार्थीनी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत "जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ अंतर्गत वर्तमान में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु तृतीय श्रेणी पद अमीन के रिक्त पदों की संख्या स्वीकृत कुल पदों की संख्या के 10 प्रतिशत सीमा बंधन के अंदर उपलब्ध कराने हेतु" जनसूचना अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को ऑनलाईन आवेदन क्रं. 220250410002852 दि. 10.04.2025 को प्रस्तुत किया था, किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थीनी को अधूरी एवं भ्रामक जानकारी दिये जाने के कारण असंतुष्ट होकर ऑनलाईन आवेदन क्रं. 220250410002852 दिनांक 08.05. 2025 को प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.05.2025 को समय दोपहर 12.30 बजे कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित कर, सुनवायी में उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थीनी को स्पीड पोस्ट एवं ऑनलाईन माध्यम से सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 26.05.2025 को अपीलार्थीनी के अनुपस्थित रहने के कारण, प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थीनी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदिका को अधूरी एवं भ्रामक जानकारी दिये जाने के कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है।

(1)

3. सुनवाई दिनांक 26.05.2025 को अपीलार्थीनी के अनुपस्थित रहने के कारण, प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थीनी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदिका को अधूरी एवं भ्रामक जानकारी दिये जाने के कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है।

4. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने अवगत कराया कि आवेदिका/अपीलार्थीनी का ऑनलाईन आवेदन क्रं. 220250410002852 दिनांक 10.04.2025, जनसूचना प्रकोष्ठ को दिनांक 15.04.2025 प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु स्थापना कक्ष की ओर दिनांक 23.04.2025 को प्रस्तुत नस्ती, स्थापना कक्ष से जनसूचना प्रकोष्ठ में दि. 28.04.2025 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि आवेदिका द्वारा चाही गई जानकारी 02 पृष्ठों में समाहित है। उक्त अंकित टीप अनुसार आवेदिका को 02×2=04 रूपये एवं पंजीकृत डाक शुल्क रू. 42 मंगाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/123/छ.ग./2025/3840, दिनांक 30.04.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थीनी द्वारा दिनांक 04.05.2025 को राशि 46.00 (रू. छियालीस) ऑनलाईन माध्यम से जमा करने पर, उन्हें कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/123/छ.ग./2025/4058, दिनांक 06.05.2025 को वांछित जानकारी दी गई।

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण के न्यायसंगत निराकरण किये जाने की दृष्टि से अपीलार्थीनी के आवेदन में वांछित जानकारी के संबंध स्थापना कक्ष के नस्ती इंचार्ज श्री मैथिल सहायक वर्ग–1 से संबंधित नस्ती मंगाकर अवलोकन किया गया। अपीलार्थीनी द्वारा "जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ अंतर्गत वर्तमान में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु तृतीय श्रेणी पद अमीन के रिक्त पदों की संख्या स्वीकृत कुल पदों की संख्या के 10 प्रतिशत सीमा बंधन के अंदर उपलब्ध कराने हेतु" आवदेन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन के तहत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी का अवलोकन किया गया, जिसमें विभाग अंतर्गत स्वीकृत सेटअप अंतर्गत अमीन के कुल स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी है। किन्तु अपीलार्थीनी द्वारा वांछित "वर्तमान में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु तृतीय श्रेणी पद अमीन के रिक्त पदों की संख्या स्वीकृत कुल पदों की संख्या के 10 प्रतिशत सीमा बंधन के अंदर" संबंधी जानकारी के संबंध में नस्ती प्रभारी से पूछताछ करने पर अवगत कराया कि पृथक से ऐसी कोई जानकारी विभाग में संधारित नहीं है और ना ही प्रश्नात्मक रूप की जानकारी तैयार कर दिये जाने का प्रावधान है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के तहत न्यायहित में, आवेदिका द्वारा ही प्रस्तुत अन्य आनलाइन आवेदन क्र. 220250514003092 दिनांक 14.05.2025 में विभाग में अमीन के स्वीकृत पद 735 के अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित 10% पदों की संख्या 73 में से 39 को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने संबंधी जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है। आवेदिका के उक्त आवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/157/छ.ग./2025/4568, दिनांक 22.05.2025 को पंजीकृत डाक से वांछित जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।

6. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है:–

अपीलार्थीनी द्वारा चाही गई जानकारी "जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ अंतर्गत वर्तमान में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु तृतीय श्रेणी पद अमीन के रिक्त पदों की संख्या स्वीकृत कुल पदों की संख्या के 10 प्रतिशत सीमा बंधन के अंदर उपलब्ध कराने हेतु" संबंधी जानकारी नस्ती में संधारित नहीं की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के तहत न्यायहित आवेदिका द्वारा वांछित जानकारी के संबंध में स्थापना शाखा द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार विभाग में अमीन के कुल स्वीकृत पद 735 के अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित 10% पदों की संख्या 73 में से 39 को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गयी है। आवेदिका के पृथक आवेदन में जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/157/छ.ग./2025/4568, दिनांक 22.05.2025 को पंजीकृत डाक से उपलब्ध करायी गयी जानकारी की प्रति इस आदेश के साथ पुनः आवेदिका को निःशुल्क उपलब्ध कराया जावे।

प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण निराकृत किया जाकर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/-

(आलोक कुमार अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ
नवा रायपुर अटलनगर (छ.ग.)

पृ.क्रं./229/बो.प्र./नि.स./2025/4750 **नवा रायपुर, दिनांक 27/5/2025**

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेष को विभाग के बेबसाईट (RTI Section) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सुश्री भूमिका, बागबाहरा, जिला महासमुन्द (छ.ग.) पिन को. 493449, मो. नं. 7509325866, e-mail id : pinkyvicky176@gmail.com की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

26/5/25

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ
नवा रायपुर अटलनगर (छ.ग.)